मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०२०

मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक, २०२०.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. परिणाम जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर होंगे.

४. शास्तियां.

५. इस अधिनियम के लागू होने का वर्जन.

६. वे प्राधिकारी जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों का क्रियान्वयन करने के लिए विनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे.

७. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.

८. नियम बनाने की शक्ति.

९. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०२०

मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक, २०२०.

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ऋण-ग्रस्तता से राहत के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम, २०२० है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में, इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''सिविल न्यायालय'' में सम्मिलित हैं,—

(एक) दिवाला विषयक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कार्य करने वाला कोई न्यायालय;

(दो) कोई ऐसा न्यायालय, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन (क) लघुवाद न्यायालय के रूप में गठित किया गया है या (ख) जिसमें लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता विनिहित की गई है;

(तीन) मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ऋणि सहायता अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १२ सन् १९६७) के अधीन स्थापित कोई ऋणि सहायता-न्यायालय;

(ख) ''सहकारी सोसाइटी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सोसाइटी;

(ग) ''ऋण'' में सम्मिलित है, किसी लेनदार को देय समस्त दायित्व जो नगदी में हों या वस्तु के रूप में हों, प्रतिभूत हों या अप्रतिभूत हों और जो किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों तथा १५ अगस्त, २०२० को अस्तित्व में हों चाहे वे शोध्य हो गए हों या शोध्य न हुए हों;

(घ) ''अनुसूचित जनजाति का सदस्य'' से अभिप्रेत है, ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों का अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के समूहों का, जिन्हें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;

(ङ) ''अनुसूचित क्षेत्र'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा ६ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया कोई क्षेत्र;